न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थनापत्र 55/2021 (2021/255)

1. कैलाश पुत्र धन्ना जाति खारोल निवासी कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर
2. कमलेश पुत्र धन्ना जाति खारोल निवासी कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर

---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. नाथू पुत्र गोकल खारोल जाति खारोल निवासी कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर
2. श्रीमति हगामी पत्नि देवकरण जाति खारोल निवासी कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर
3. लादी पुत्री गोकल जाति खारोल निवासी कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर
4. मगदू पुत्री गोकल जाति खारोल निवासी कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर
5. रसाली पुत्री गोकल जाति खारोल निवासी कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर
6. किशनलाल पुत्र नाथू जाति खारोल निवासी कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर
7. द्वारका पुत्र देवकरण जाति खारोल निवासी कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 13.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थीगण द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम कुशायता** की जमाबन्दी संवत **2072–75** में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
26–40	2577	0.1800	बारानी 2
469–40	2940/2577	0.18	बारानी 2

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है प्रार्थीगण ही आराजीयात पर कब्जे काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त, आधिपत्य ,स्वामित्व में है। प्रार्थी ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। प्रार्थीगण दिनांक 25.06.2021 को काश्त करने गये तो अप्रार्थीगणा ने फसल काश्त नही करने दी तथा गाली गलोच करने लगे तथा कब्जा काश्त मे बाधा उत्पन्न की तथा स्थायी सीमा चिन्ह नही होने से धमकी दी की यहा तक हमारा खेत है तथा उक्त स्थायी सीमा चिन्हों के अभाव में हमारे खेत में भी काश्त नही करने दी जिससे यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। वकील प्रार्थीगण को सुना गया उन्होने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया, तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की पत्थरगढी अप्रार्थीगण की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा कराये जाने निवेदन किया। पेरोकार सरकार को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम कुशायता की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या नया पुराना 26–40 खसरा नम्बर 2577 रकबा 0.1800 है. किस्म बारानी 2 तथा खाता संख्या नया पुराना 469–40 खसरा नम्बर 2940/2577 रकबा 0.18 है. किस्म बारानी 2 की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 13.12.2021 को केम्प कुशायता में खुले आम मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:46:02 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

Scanned with CamScanner